न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 55/2021 दायर दिनाँक 03.03.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. शौकत अली पुत्र अब्दुल रहमान जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. आमना पत्नि अ0 रहमान 2. मोबिना बानो पत्नि अब्दुल रहमान पुत्री अब्दुल रहमान 3. मोहम्मद इस्माईल पुत्र अब्दुल रहमान 4. सलमा बानो पत्नि अब्दुल कलाम 5. अली मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान समस्त जाति देशवाली निवासीगण मारवाड़ बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 6. जाना पत्नि मो0 सवालीन 7. जेनब पत्नि कयूम पुत्री अब्दुल रहमान जाति देशवाली निवासी लाडाबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. अब्दुल लतीफ पुत्र अ0 रहमान जाति देशवाली निवासी तलाई के पास डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. इब्राहिम पुत्र रहीम 10. मुंशी पुत्र रहीम समस्त जाति देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 11. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी

दिनाँक **09.08.2021**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रिक खातेदारी के खेत खसरा सं0 695 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 762 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा व खसरा सं0 584 रकबा 0.04 बीघा, खसरा सं0 595 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 660 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 7[illegible] बीघा, खसरा सं0 733 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 [illegible]7 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 708 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं0 71[illegible] 09 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 732 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 734 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं0 746 रकबा 11 बिस्वा वाके सरहद बालिया तहसील डीडवाना में आया हुआ है जो वादी की सं[illegible] खातेदारी व हक अधिकार व कब्जे काश्त में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 के पिता व पति को बचपन में ग्रामीण भाषा में नाथु के नाम से पुकारा जाता था एवं जब वादी के दादा पिरबक्ष की मृत्यु हुई तो उनके स्थान पर वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, जो सहवन से मौखिक भाषा में पुकारा जाने वाले नाम के आधार पर नाथु दर्ज हो गया, जबकि वादी व प्रतिवादीगण के पिता व पति का दस्तावेजों में नाम अब्दुल रहमान है। मतदाता पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण–पत्र में वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम अब्दुल रहमान की दर्ज हो रखा है।

(क) यह है कि वाद डिक्री किया जावें तथा खेत खसरा सं0 695 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 762 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा व खसरा सं0 584 रकबा 0.04 बीघा, खसरा सं0 595 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 660 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 709 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 733 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 707 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 708 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं0 710 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 732 रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 734 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं0 746 रकबा 11 बिस्वा वाके सरहद बालिया में वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 के पिता व पति का नाम नाथु के स्थान पर अब्दुल रहमान पुत्र पीर बक्ष दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष्य वाद में वादी शौकत अली पुत्र अब्दुल रहमान का शपथ पत्र पेश हुआ। सरपंच बालिया की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। सरपंच बालिया की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 695, 762, 584, 595, 660, 709, 733, 707, 708, 710, 732, 734, 746 में खातेदार का नाम नाथु के स्थान पर अब्दुल रहमान पुत्र पीर बक्ष राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद बालिया में सरपंच बालिया की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 695, 762, 584, 595, 660, 709, 733, 707, 708, 710, 732, 734, 746 में खातेदार का नाम नाथु के स्थान पर अब्दुल रहमान पुत्र पीर बक्ष राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **09.08.2021** को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **55/2021** दायर दिनाँक **03.03.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. शौकत अली पुत्र अब्दुल रहमान जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. आमना पत्नि अ0 रहमान 2. मोबिना बानो पत्नि अब्दुल रहमान पुत्री अब्दुल रहमान 3. मोहम्मद इस्माईल पुत्र अब्दुल रहमान 4. सलमा बानो पत्नि अब्दुल कलाम 5. अली मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान समस्त जाति देशवाली निवासीगण मारवाड़ बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 6. जाना पत्नि मो0 सवालीन 7. जेनब पत्नि कयूम पुत्री अब्दुल रहमान जाति देशवाली निवासी लाडाबास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 8. अब्दुल लतीफ पुत्र अ0 रहमान जाति देशवाली निवासी तलाई के पास डीडवाना जिला नागौर राज0। 9. इब्राहिम पुत्र रहीम 10. मुंशी पुत्र रहीम समस्त जाति देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 11. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **09.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद बालिया में सरपंच बालिया की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 695, 762, 584, 595, 660, 709, 733, 707, 708, 710, 732, 734, 746 में खातेदार का नाम नाथु के स्थान पर अब्दुल रहमान पुत्र पीर बक्ष राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुब्लिग.................................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदा... ...2021 ... इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

...यक कलक्टर
डीडवाना

...यक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 15:04:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner